रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 3, 1994/श्रावण 12, 1916
No. 318] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 3, 1994/SRAVANA 12, 1916

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1994

सा.का.नि. 603(अ) :—केन्द्रीय सरकार, चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चलचित्र (प्रमाणन) (संशोधन) नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 में,—

(1) नियम 22 में,

(क) उपनियम (2) में,—

(i) खंड (क) में "एक परीक्षण अधिकारी होगा" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जायेंगे, अर्थात् :—
"जिन दोनों में से एक महिला होगी";

(ii) खंड (ख) में "एक परीक्षण अधिकारी होंगे" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जायेंगे, अर्थात्
"जिनमें से दो महिलाएं होंगी।

(ख) उपनियम (14) में, "चार से होगी" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगा अर्थात् :—

"जिनमें से कम से कम दो महिलाएं होंगी"।

(2) चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 के नियम 22 के उपनियम (2) में प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि परीक्षण समिति में, खंड (क) के अंतर्गत आने वाले मामले में एक महिला सदस्य होगी और खण्ड (ख) के अंतर्गत आने वाले मामले में "दो महिला-सदस्य होंगी।"

[फा.सं. 802/5/94-एफ. (सी.)]
शर्वरी गोखले, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मुख्य नियम दिनांक 9-5-83 के नं. सा.का.नि. 381(अ) के द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, धारा 3, उपधारा (i) में प्रकाशित किए गए और निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

1. दिनांक 28-2-84 का जी.एस.आर. 83 (ई)
2. दिनांक 29-5-84 का जी.एस.आर. 413(ई)
3. दिनांक 13-12-84 का जी.एस.आर. 814(ई)
4. दिनांक 21-10-89 का जी.एस.आर. 772
5. दिनांक 27-11-91 का जी.एस.आर. 702(ई)
6. दिनांक 30-1-92 का जी.एस.आर. 67(ई)

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 1994

G.S.R. 603(E).—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cinematograph (Certification) Rules, 1983, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Cinematograph (Certification) (Amendment) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cinematograph (Certification) Rules, 1983,—

(1) in rule 22,—

(a) in sub-rule (2),—

(i) in clause (a), after the words "examining officer", the following words shall be inserted, namely :—

"either of whom shall be a woman,";

(ii) in clause (b), after the words "examining officer", the following words shall be inserted, namely :—

"of whom two persons shall be women :";

(b) in sub-rule (14), after the word "four", the following shall be added, namely :—

"of whom at least two persons shall be women."

(2) In the Cinematograph (Certification) Rules, 1983, in rule 22, in sub-rule (2), after the first proviso, the following proviso shall be added, namely :-

"Provided further that in the Examining Committee, in a case falling under (a) one member shall be a woman and in a case falling clause (b) two members shall be women.".

[File No. 802|5|94-F(C)]
SHARWAREE GOKHALE, Jt. Secy.

Footnote :—The principal rules were published vide No. GSR 381(E) dated 9-5-83 in the Extraordinary Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), and amended by :

(i) GSR 83(E), dated 28-2-84 ;

(ii) GSR 413(E), dated 29-5-84 ;

(iii) GSR 814(E), dated 13-12-84 ;

(iv) GSR 772, dated 21-10-89 ;

(v) GSR 702(E), dated 27-11-91 ;

(vi) GSR 67(E), dated 30-1-92.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994